शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-2/2026/ए-1-आई/1250789 /2026-10-1099/298/2020

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार भट्ट,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

2-समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2026

विषय :- होली का पर्व होने के कारण नियत तिथि से पूर्व वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 मार्च, 2026 को सामान्य अवकाश तथा 02 मार्च, 2026 को होलिका दहन के त्योहार का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण श्री राज्यपाल महोदय समस्त राज्य कर्मचारियों व सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वेतन एवं उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को माह फरवरी, 2026 का वेतन एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान 28 फरवरी, 2026 को किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2- कृपया इन आदेशों का तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

महेन्द्र कुमार भट्ट

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल सचिवालय/विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

4- विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वे समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इस आदेश को परिचालित कराने का कष्ट करें।

6- चीफ जनरल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोतीमहल मार्ग, लखनऊ।

7- करेंसी आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, इश्यू सेक्शन, कानपुर।

8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि वे कृपया प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

महेन्द्र कुमार भट्ट
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।